राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–300 / 2025

विजय सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, झालावाड।
4. दीपक कुमार राठौड, क्षेत्रीय वन अधिकारी, विकास कार्यालय, उप वन संरक्षक, बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 07.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज पिडावा, उप वन संरक्षक, झालावाड में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन क्षेत्रीय वन अधिकारी, विकास, कार्यालय उप वन संरक्षक, बूंदी में किया गया है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर 1 वर्ष 3 माह से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है। स्थानान्तरण नीति के अनुसार न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति को समंजित किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानानतरण नीति विरूद्ध किये जाने में पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है, जो अनुचित है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है, जो उचित है।

4. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दिये तर्को पर विचार किया।

5. राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया है, उसमें मत संख्या 1.1 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।''

6. उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सामान्य स्थिति में न्यूनतम दो वर्ष तक एक स्थान पद पदस्थापित रखा जाएगा। साथ ही यह भी प्रावधान रखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से पूर्व भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। उक्त स्थानान्तरण नीति में मत संख्या 6.2 में निम्न प्रकार से भी प्रावधान रखा गया है :–

> ''6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान मं रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।''

7. अतः उपरोक्त प्रावधान से यह भी स्पष्ट है कि प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिना कारण बताये कार्मिक का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। केवल मात्र इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानान्तरण को अनुचित नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति का स्थानान्तरण किया गया हो। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान अंकित है। ऐसे में राज्यहित में अपीलार्थी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में क्या आवश्यकता रही है, इसके गुणावगुण पर अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये

निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष